न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 257/2023
वाद पत्र अं0 धारा 88/53 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री बृजलाल
2. विनोद कुमार पुत्र बृजलाल
3. चन्द्रशेखर पुत्र बृजलाल

} जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र नानूराम
2. औंकारी पत्नी बृजलाल
3. विमला देवी पुत्री बृजलाल
4. विनेश पुत्री स्व श्री दुर्गादेवी पुत्री बृजलाल
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व श्री दुर्गादेवी पुत्री श्री बृजलाल

} समस्त जाति जाट निवासी नगराना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री सुनील कुमार टांडी –वकील वादीगण
2. श्री प्रदीप जाखड –वकील प्रति 1 ता 5

निर्णय दिनांक :– 07-07-2023

वादीगण वेदप्रकाश वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता तक्सीम व घोषणा के तहत दिनांक 02–06–2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का निवास स्थान का पंजीकृत पता सिविल प्रकिया के व्यापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे अंकित है। कि वादी स 1 व वादी स 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक न 6 एन.जी.आर के जमाबंदी स. 2072–75 के खाता स 102/80 मे क्रमश 4175/13915 हिस्सा व /1897/13915 हिस्सा व प्रति स 1 व प्रति स 2 के नाम इसी चक मे क्रमश 1771/13915 हिस्सा व 6325/13915 हिस्सा तथा प्रति स 1 के नाम चक न 6 एन. जी.आर के जमाबदी सम्वत् 2072–75 के खाता स 100/88 मे 0.253है व प्रति स 1 नाम से टीबी तहसील के चक न 04 एन.जी.आर के जमाबंदी सम्वत 207 –7 के खाता स मे है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जसकी जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है। कि वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 5 है जो कि एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य घरू तौर पर फसल कास्त व खाला रास्ते कि सुविधा तथा अच्छी मन्दी के अनुसार काफी अस्सा पूर्व आपस म घरू बंटवारा कर लिया था उसी के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादीगण कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है कब्जा कास्त को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नही है उक्त बंटवारानामा के रोज से वादीगण बटवारानामा व विरास्तन मे प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल कास्त करते आ रहे है प्रति स 3 वादीगण कि बहीन दूर्गादेवी जो फौत हो चूकि है के पुत्री व पुत्र है प्रति स 3 ता 5 का उक्त कृषि भूमि मे जो विरास्तन हक व हिस्सा बनता उस का मौखिक रूप से हक त्याग अपने से भाई /मामा वादीगण के पक्ष मे कर दिया है इस प्रकार मुताबिक घरू बंटवारा व विरास्तन मे वादीगण के हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त मे निम्न लिखित कृषि भूमि आई है

वादी स 1 वेदप्रकाश पुत्र श्री बृजलाल की काब्जा काश्त कि कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है

चक न 6 एन.जी.आर खाता स 102/80

प.न	मु.न	कि.न
163/220	29	5/1/0.228है ,5/2/0.025है गे.मु.खा 6–15 ता 20/1.771है 21 ता 25/1.265है
162/221	38	4/0.253है ,5/1/0.228है 5/2/0.025 गै.मु.रा 6/1/0.228है ,6/2/0.025है गे.मु.रा 7/0.253है
163/219	14	25/0.253है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चक न 6 एन जी.आर खाता स 100/88

प.न	मु.न	कि.न
164/219	15	25/0.253है

कुल–4.732है नहरी व 0.075गे.मु 4.807है मय.गे.मु नहरी कृषि भूमि वादी स 2 विनोद कुमार पुत्र बृजलाल की कब्जा काश्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है–

चक न 6 एन.जी.आर खाता स 102/80

प.न	मु.न	कि.न
163/221	39	1 ता 5/1.265है, 6 ता 9/1.012है
162/220	30	10–15/0.506है 16/1/0.228है,16/2/0.025है गे.मु.रा 17/18/0.506है 19/0.126है उतर दिशा 12–23–24/0.759है ,25/1/0.228है, 25/2/0.025है गे.मु.रा

कुल–4.630है नहरी व 0.050 गे.मु. 4.680है मेय,गे.मु वादी स 3 चन्द्रशेखर पुत्र श्री बृजलाल की कब्जा काश्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है

चक न 6 एन.जी.आर खाता स 102/80

प.न	मु.न	कि.न
161/220	31	12ता14/0.759है 15/1/0.228है, 15/2/0.025है गे.मु.खा 16/1/0.228है,16/2/0.025है गे.मु.खा 17ता20/1.012है, 21–22/0.506है 25/1/0.228है ,25/2/0.025है गे.मु.खा
162/220	30	11/0.253है, 20ता22/0.759है 19/0.127है दक्षिण दिशा 12–23–24/0.759है, 25/1/0.228है 25/2/0.025है गे.मु.रा
162/221	38	2 ता 3/0.506है

कुल–4.606है नहरी 0.075गे.मु. 4.681है मय गे.मु.नहरी कृषि भूमि

यह हक कि प्रति स 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 6 एन.जी.आर के अलावा टिबी तहसील के चक न 4 एन.जी.आर के ज.स 207 –7 के खाता स / मे है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है उक्त धरूबंटवारा के अनुसार प्रति स 1 हक व हिस्सा मे टिबि तहसील के चक न 4 एन.जी.आर कृषि भूमि आयी है जिस पर प्रति स 1 काबिज है कि वादीगण अपने दादा से विरास्तन मे प्राप्त कृषि भूमि पर अरसा दराज से काश्त करते चले आ रहे है व अपनी कब्जा काश्त कृषि भूमि मे अपना श्रम व काफी पैसा खर्च कर सुधार किया है अब वादीगण व प्रतिवादीण के मध्य किसी प्रकार का मनमुटाव व झगडा न रहे उक्त कृषि भूमि का खाता विवादित है जिससे वादीगण को अपनी कृषि भूमि पर कृषि ऋण लेने वह कृषि सम्बन्धीत कार्य करने मे अनेक पेरशानी होती है इस कारण वादीगण अपना खाता साझा नही रखना चाहते ह अत वादीगण अपना मुताबिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त के मुताबिक खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करवान के व अपने पिता से विरास्तन मे प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का एक मुस्त हकदार एव दावेदार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि मुताबिक बंटवारानामा व मौका की कब्जा काश्त के मुताबिक खातेदार काश्तकार मानकर अपना खाता अलग कायम करवा कर रकम राज अलग से कायम करवा लेवे किन्तु प्रतिवादगण पहले तो मटोल करते रहे एव पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इकार कर दिया बस यही विनाय दावा है कि वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज कृषि भूमि पर वादीगण अरसा दराज से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है व परिश्रम कर व काफी पैसा खर्च कर समतल बनाया व काश्त करने योग्य बनाया यदि हक व हिस्सा व मुताबिक कब्जा काश्त करने योग्य बनाया यदि हक व हिस्सा व मुताबिक कब्जा काश्त के वादीगण को खातेार काश्तकार घोषित कर खाता तकसीम नही किया गया तो वादीगण को कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप मे नही किया गया कि वादीगण ने उक्त कृषि भूमि अपने पिता से विरास्तन मे प्राप्त हुई थी जिस पर वादीगण उक्त कृषि भूमि पर बिना किसी बाधा व ऐतराज के फसल काश्त करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि

साझा खाता मे दर्ज होने व खाता विवादीत होने के कारण वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ गांव बंट पानी की बारी व रकम राज को लेकर झगडा होने का अन्देशा बना रहता है उक्त कृषि भूमि का खाता साझा होने के कारण वादीगण के हक व हकूक पर बुरा प्रभाव पड रहा है इसलिए वादीगण अपना खाता अलग करवाना चाहते है प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन हमेशा ही वादीगण के पक्ष मे रहा है। कि प्रतिवादी स 1 से 5 को सहकाश्त होने के कारण व प्रति स 6 का लेण्ड हाल्डर होने के कारण पक्षकार के रूप मे सयोजित किया है उनसे किसी प्रकार का सिधे रूप से काई अनुतोष नही चाहा गया है कि दावा बाबत खाता तक्सीम व घोषणात्मक का है जो कि 4 रू की न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है एव कालि समायत अदालत वाला है व अन्दर मियाद है लिहाजा वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावें । कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि का खाता वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर वादी स 1 व 2 हिस्सा बढाया जाकर व वादी स 3 को खातेदार घोषित किया जाकर दोनो खातो मे वादीगण के पिता प्रति स 1 व माता प्रति स 2 का नाम कलमजन किया जा कर व कब्जा काशत के आधार पर खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम कि जावें।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 6 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुताबिक राजीनामा वादीगण को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अलग कायम किया जावे। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का आराजी को लेकर आपस में राजीनामा हो जाने तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनाम डिक्री किये जाने हेतु सहमती जताई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 आराजी के सह–काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण उक्त राजीनामा के आधार पर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि:– कि मुताबिक राजीनामा वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर वादी स 1 व 2 हिस्सा बढाया जाकर व वादी स 3 को खातेदार घोषित किया जाकर दोनो खातो मे वादीगण के पिता प्रति स 1 व माता प्रति स 2 का नाम कलमजन किया जा कर व कब्जा काशत के आधार पर खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम कि जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 2/7/2013 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/7/13

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 257 / 2023
वाद पत्र अं.धारा :– 88 / 53 आरटीए

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री बृजलाल
2. विनोद कुमार पुत्र बृजलाल
3. चन्द्रशेखर पुत्र बृजलाल

} जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र नानूराम
2. औंकारी पत्नी बृजलाल
3. विमला देवी पुत्री बृजलाल
4. विनेश पुत्री स्व श्री दुर्गादेवी पुत्री बृजलाल
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व श्री दुर्गादेवी पुत्री श्री बृजलाल

} समस्त जाति जाट निवासी नगराना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 07 / 07 / 2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिय के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील टांडी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री प्रदीप जाखड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एव तहसीलदार राजस्व संगरिया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक राजीनामा वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर वादी स 1 व 2 हिस्सा बढाया जाकर व वादी स 3 को खातेदार घोषित किया जाकर दोनो खातो मे वादीगण के पिता प्रति स 1 व माता प्रति स 2 का नाम कलमजन किया जा कर व कब्जा काशत के आधार पर खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम कि जाता है। वाद पत्र की चरण स 4 निम्नानुसार है

वादी स 1 वेदप्रकाश पुत्र श्री बृजलाल की काब्जा काश्त कि कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है

चक न 6 एन.जी.आर खाता स 102 / 80

प.न	मु.न	कि.न
163 / 220	29	5 / 1 / 0.228है ,5 / 2 / 0.025है गे.मु.खा 6 ता 15 ता 20 / 1.771है 21 ता 25 / 1.265है
162 / 221	38	4 / 0.253है ,5 / 1 / 0.228है 5 / 2 / 0.025 गै.मु.रा 6 / 1 / 0.228है ,6 / 2 / 0.025है गे.मु.रा 7 / 0.253है
163 / 219	14	25 / 0.253है

चक न 6 एन जी.आर खाता स 100 / 88

प.न	मु.न	कि.न
164 / 219	15	25 / 0.253है

कुल–4.732है नहरी व 0.075गे.मु 4.807है मय.गे.मु नहरी कृषि भूमि

वादी स 2 विनोद कुमार पुत्र बृजलाल की कब्जा काश्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है–

चक न 6 एन.जी.आर खाता स 102 / 80

प.न	मु.न	कि.न
163 / 221	39	1 ता 5 / 1.265है, 6 ता 9 / 1.012है 10 ता 15 / 0.506है

2/220	30	16/1/0.228है,16/2/0.025है गे.मु.रा 17/18/0.506है 19/0.126है उत्तर दिशा 12–23–24/0.759है ,25/1/0.228है, 25/2/0.025है गे.मु.रा

कुल–4.630है नहरी व 0.050 गे.मु. 4.680है मय,गे.मु

वादी स 3 चन्द्रशेखर पुत्र श्री बृजलाल की कब्जा काश्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है

चक न 6 एन.जी.आर खाता स 102/80

प.न	मु.न	कि.न
161/220	31	12ता14/0.759है 15/1/0.228है, 15/2/0.025है गे.मु.रा 16/1/0.228है,16/2/0.025है गे.मु.रा 17ता20/1.012है, 21–22/0.506है 25/1/0.228है ,25/2/0.025है गे.मु.रा
162/220	30	11/0.253है, 20ता22/0.759है 19/0.127है दक्षिण दिशा 12–23–24/0.759है, 25/1/0.228है 25/2/0.025है गे.मु.रा
162/221	38	2 ता 3/0.506है

कुल–4.606है नहरी 0.075गे.मु. 4.681है मय गे.मु.नहरी कृषि भूमि

राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोट :– रकबा रहनमुक्त होने के पश्चात् डिक्री का अमल दरामद होगा।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक07/07/2023 जारी किया गया।

7/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official